समाचार पत्रों की कतरनें

सितम्बर, 2025

अमर उजाला, दिनांक 4 सितम्बर 2025

पेज न0–3, कालम–3,4,5

मोटरसाइकिल से सवारियां ढोने पर 3-3 हजार के चालान

आरटीओ की टीम ने की शहर में कार्रवाई, दोबारा पकड़े गए तो 7500 का होगा चालान : अनिल

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) की टीम ने बुधवार को दोपहिया वाहनों के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर चालान काटे हैं। आरटीओ की टीम ने बुकिंग करवा कर इन्हें मौके पर बुलाया। इसके बाद तीन ऐसे दोपहिया वाहन चालकों के तीन-तीन हजार रुपये के चालान काटे गए।

चेताया कि अगर दोबारा पकड़े गए तो 7500 रुपये का चालान काटा जाएगा। आरटीओ अनिल शर्मा ने बताया कि शहर में टैक्सी चालकों ने आरटीओ कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। चालकों का कहना है कि कुछ निजी दोपहिया वाहन (टू-व्हीलर) चालक अवैध रूप से कॉमर्शियल सेवाएं दे रहे हैं। टैक्सी चालकों का आरोप था कि यह निजी बाइक मालिक बिना किसी वैध परमिट या टैक्स चुकाए सवारियों को लिफ्ट देकर पैसे कमा रहे हैं, जिससे अधिकृत टैक्सी चालकों का काम प्रभावित हो रहा है। इसके बाद कार्रवाई की गई है।

मौके पर पकड़े गए बाइक चालकों ने दावा किया रैपिडो से करते हैं बुकिंग

वहीं दूसरी तरफ युवक मौके पर दावा करते रहे कि वह रैपिडो के तहत बुकिंग कर बाइक टैक्सी चला रहे हैं। लेकिन परिवहन विभाग ने कहा कि इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है इसलिए चालान भुगतना होगा।

अमर उजाला, दिनांक 10 सितम्बर 2025

पेज न0–4, कालम–4,5,6,7

तैयारी

ब्लैक स्पॉट होंगे चिह्नित, छात्रों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरुक करने के लिए प्रशासन तैयार करेगा पार्क

शहर के एक स्कूल में बनेगा सड़क सुरक्षा पार्क

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। स्कूली छात्रों को सड़क यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए अब राजधानी के एक स्कूल में सड़क सुरक्षा पार्क तैयार किया जाएगा। यहां आकर अन्य स्कूलों के बच्चे भी सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।

जिला प्रशासन ने इसके लिए शिक्षा और परिवहन विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा शहर के प्रवेशद्वारों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सड़क चिह्न तथा चेतावनी पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए समय-समय पर रैलियों और शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शहर में एक विशेष जागरूकता रैली आयोजित की जाएगी और सभी स्कूलों में भी ऐसी गतिविधियां निरंतर चलती रहेंगी। परिवहन विभाग को नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित सड़क निर्माण कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए गए, जिसमें संबंधित विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा।

उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जिले के उपमंडलों में ब्लैक स्पॉट की सूची तैयार की जाए। इनमें सुधार के लिए वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस विभाग को उपमंडल वार सड़क दुर्घटनाओं का ब्योरा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

रिज मैदान पर लगेगा रक्तदान शिविर

बैठक में फैसला लिया गया कि रिज मैदान पर जल्द ही रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को जरूरत पड़ने पर रक्त उपलब्ध हो सकेगा। इस दौरान सड़क सुरक्षा के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। डीसी ने कहा कि जिले की सभी सरकारी और निजी एंबुलेंस को जीपीएस से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में सभी अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा से जुड़े अपने सुझाव साझा किए। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल शर्मा और डीएसपी शक्ति सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

The Tribune, Date-10 September 2025
Page No.03, colum-4,5,6,7,8

Shimla DC maps out road safety blueprint

TRIBUNE NEWS SERVICE

Directs PWD officials to prepare list of all black spots in district

SHIMLA, SEPTEMBER 9

Shimla DC Anupam Kashyap has directed the Public Works Department (PWD) to prepare a comprehensive list of accident-prone black spots across all subdivisions of the district. He said this while chairing a meeting of the District Road Safety Committee today, where officials reviewed key challenges and strategies to enhance road safety. Kashyap added that financial provisions will be made to improve these vulnerable locations once identified.

The DC also instructed the police department to compile and provide detailed sub-division-wise data on road accidents. "Concrete steps can only be taken once accurate data is available," he stressed.

Highlighting the need for a robust traffic management system, Kashyap called for urgent measures including the installation of road signs, placement of warning boards at crucial points, and heightened public awareness campaigns. He emphasised prioritising the identification and rectification of black spots.

As part of awareness initiatives, a road safety park will soon be established in a Shimla school. Students from across the district will be able to visit the facility to learn practical lessons in traffic rules and safe road behaviour. The Education and Transport Departments have already been given guidelines to begin this project.

The DC announced that rallies, awareness camps and regular school-based activities will be organised throughout the district. A special rally in Shimla will kick-start the campaign. Additionally, the Transport Department has been tasked with holding a workshop on modern road construction technology, inviting experts and departmental engineers.

The meeting also decided to hold a mega blood donation camp at the Ridge, Shimla, to ensure timely availability of blood for accident victims. Health check-up camps for drivers will also be organised periodically.

In another significant step, Kashyap directed efforts to integrate all government and private ambulances with GPS systems, enabling quicker response during emergencies. Departmental officials will also conduct regular inspections to ensure ambulances meet all safety norms.

With these measures, the administration aims not only to address accident black spots but also to build a culture of responsibility and awareness among the people of Shimla district.

हिमाचल दस्तक, दिनांक 10 सितम्बर 2025
पेज न0–6, कालम–2,3,4,5,6

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त ने दिए निर्देश

दुर्घटना से बचने के लिए शहर में ब्लैक स्पॉट होंगे चिह्नित

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

शिमला जिला में विभिन्न स्थानों पर ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए जाएंगे। इसको लेकर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं, जिसके तहत लोक निर्माण विभाग को सभी उपमंडलों में ब्लैक स्पॉट्स की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके बाद इन ब्लैक स्पॉटों को दुरुस्त किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

▮ पुलिस विभाग को उपमंडलवार सड़क दुर्घटनाओं का विस्तृत डाटा उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

उन्होंने पुलिस विभाग को उपमंडलवार सड़क दुर्घटनाओं का विस्तृत डाटा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि उसके आधार पर ठोस कदम उठाए जा सकें। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, ब्लैक स्पॉट्स को प्राथमिकता से चिह्नित कर उनका सुधार करने, सड़क चिह्नों एवं चेतावनी पट्टिकाओं की उचित व्यवस्था करने और लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल शर्मा, डीएसपी शक्ति सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

सरकारी व निजी एंबुलेंस में लगेगा जीपीएस

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला की सभी सरकारी एवं निजी एंबुलेंस को जीपीएस से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे ताकि दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहायता हो सके। विभागीय अधिकारियों को समय-समय पर एंबुलेंस की जांच करने के निर्देश भी दिए गए ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

रिज मैदान पर मेगा रक्तदान शिविर का होगा आयोजन

रिज मैदान पर एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह फैसला बैठक में लिया गया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को आवश्यकतानुसार रक्त उपलब्ध हो सके। इस अवसर के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही वाहन चालकों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने की बात भी कही गई।

शहर के एक स्कूल में होगा सड़क सुरक्षा पार्क का निर्माण

शिमला के एक स्कूल में सड़क सुरक्षा पार्क का निर्माण किया जाएगा, जहां अन्य स्कूलों के बच्चे भी आकर सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक हो सकें। इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। शहर के प्रवेश द्वारों एवं प्रमुख स्थानों पर सड़क चिह्न और चेतावनी पट्टिकाएं स्थापित की जाएंगी। जिला में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए समय-समय पर रैलियों एवं शिविरों का आयोजन किया जाएगा। परिवहन विभाग को नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित सड़क निर्माण कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 12 सितम्बर 2025

पेज न0–11 कालम–4,5,6,7

अगस्त में 3 लाख वाहन स्क्रैप, बीएस-7 मानदंडों के साथ वैश्विक स्टैंडर्ड अपनाएंगे : नितिन गडकरी

बोले- देश की अर्थव्यवस्था व पर्यावरण दोनों के लिए वरदान साबित हो रही वाहन स्क्रैपिंग नीति

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीरवार को कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए वरदान साबित हो रही है। अगस्त 2025 तक 3 लाख वाहन स्क्रैप हो चुके हैं, जिनमें से 1 लाख 41 हजार सरकारी वाहन थे, जबकि देश में 97.4 लाख वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है। गडकरी ने नई दिल्ली में सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के 65वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से स्क्रैपिंग के बाद नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों को जीएसटी में राहत देने का अनुरोध किया है।

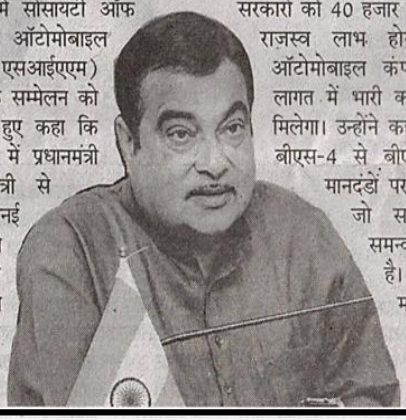

वर्तमान में मासिक 16,830 वाहन स्क्रैप हो रहे हैं और निजी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में 2,700 करोड़ रुपये का निवेश किया है। भारत प्रतिवर्ष 27 लाख टन स्टील आयात करता है, जो स्क्रैपिंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह एल्यूमीनियम का आयात भी कम हो सकता है। स्क्रैपिंग से अब तक 3.67 लाख टन स्टील निकाला गया है, जो कुल जरूरत का मात्र 6 प्रतिशत है। यदि स्क्रैप धातुओं से नई गाड़ियां बनाई जाएं तो केंद्र और राज्य सरकारों को 40 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा, साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी लागत में भारी कमी का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने बीएस-4 से बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों पर पहुंच गया है, जो सभी पक्षों के समन्वय का परिणाम है। अब बीएस-7 मानदंडों और कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (कैफे) को अपनाने के लिए वैश्विक मानकों, विशेष रूप से यूरोपीय स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बनाए रखा जाएगा। वायु प्रदूषण को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र कुल प्रदूषण का 40 प्रतिशत योगदान देता है। स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। गडकरी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि माल परिवहन का 81 प्रतिशत सड़कों से, मात्र एक प्रतिशत रेल से और 17 प्रतिशत अन्य माध्यमों से होता है। सड़कों का विस्तार तेजी से हो रहा है। एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर, चेन्नई और मुंबई की रिपोर्ट बताती है कि लॉजिस्टिक्स लागत 16 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गई है। दिसंबर 2025 तक यह 9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। यदि माल सीधे हाइवे से फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाए तो लागत और कम होगी। अच्छे हाइवे, कम लॉजिस्टिक्स लागत और तेल कीमतों के कारण परिवहन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। लेकिन जीवाश्म ईंधन पर 22 लाख करोड़ रुपये का आयात बोझ बढ़ रहा है। बायो-फ्यूल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के बावजूद मांग बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण अधिक होगा। इसलिए ऑटोमोबाइल उद्योग का धन्यवाद, जिनके सहयोग से बीएस-6 संभव हुआ।अब बीएस-7 और कैफे के लिए वैश्विक सरेखण बनाए रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे।

पुणे में 1500 करोड़ से बन रहा रिसर्च व ट्रेनिंग सेंटर

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कई कंपनियां वाहनों को टेस्ट के लिए भारत भेज रही हैं। पुणे में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च और टेस्टिंग सेंटर बन रहा है। ई-रिक्शा के मानदंड कड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ई-20 नीति प्रदूषण कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जरूरी है। एथेनॉल पर निर्भरता से 22 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। मक्के से एथेनॉल उत्पादन से किसानों को 45 हजार करोड़ का लाभ हुआ। मक्के का दाम 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,800 रुपये हो गया। इस साल मक्के की खेती तीन गुना बढ़ी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 13 सितम्बर 2025
पेज न0–07 कालम–1,2,3,4

दुर्घटना संभावित स्थानों पर साइन बोर्ड करें स्थापित

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद सुरेश कश्यप ने दिए निर्देश

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ नाहन

संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को नाहन के बचत भवन में सांसद लोकसभा शिमला संसदीय क्षेत्र सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में विधायक पांवटा साहिब सुखराम चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विस्तृत चर्चा की गई। सांसद ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोक निर्माण तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थान पर स्पीड़ ब्रेकर तथा वहां साइन बोर्ड भी स्थापित किए जाएं। उन्होंने पुलिस तथा संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वह यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को नशे का सेवन करके वाहन न चलाने, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने तथा चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने के बारे में भी जागरूक करें। सांसद ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में भी बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में बिना नंबर के वाहनों की विशेष निगरानी रखें तथा उनके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि जिला में वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी 2 करोड़ 53 लाख ,रुपये जबकि इस वर्ष अभी तक 1 करोड़ 73 लाख रुपये के चालान किए गए हैं। उन्होंने जिला में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करने को कहा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चौहान ने बैठक में क्रमवार मद प्रस्तुत किए।

▮ पुलिस व संबंधित विभागों को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा

The Tribune, Dated-13/09/2025
Page no.-02, Colum-1,2,3

Shaping future lawyers HPNLU workshop on FIRs under BNSS

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, SEPTEMBER 12

The Himachal Pradesh National Law University (HPNLU), Shimla, inaugurated its first workshop under the Trial Advocacy Competition (Criminal), 2025 on Friday.

Titled "Filing of First Information Report under BNSS, 2023: Practice and Procedure", the session was organised by the Clinical Legal Education Centre of the University.

The workshop featured Dushyant Sarpal, Deputy Superintendent of Police (Road Safety), Directorate of Transport, as the resource person. He offered students a nuanced perspective on drafting and registering FIRs under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, highlighting the importance of accuracy, adherence to procedure and investigative value. His insights blended legal principles with ground-level law enforcement experience, giving students a rare opportunity to connect theory with practice.

A workshop held at the Himachal Pradesh National Law University.

This event marked the beginning of a 10-month-long intra-university Trial Advocacy Competition — a pioneering initiative at HPNLU designed to bridge the gap between classroom learning and courtroom practice. By simulating different stages of a criminal trial, the programme aims to instil in students not just technical skills but also discipline and ethical responsibility.

Organised under the leadership of Prof (Dr) Girjesh Shukla, Director of the Clinical Legal Education Centre, the workshop has laid a strong foundation for the upcoming rounds of the competition. It also underscores HPNLU's commitment to promoting skill-based, experiential legal education.

अमर उजाला, दिनांक 17 सितम्बर 2025
पेज न0–06 कालम–2,3,4,5

महिलाओं ने बनवाए लर्निंग लाइसेंस, पूरी प्रक्रिया जानी, अब दूसरों को भी सिखाएंगी

महिलाओं ने सीखा ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, बोलीं-अब एजेंटों को नहीं देनी पड़ेगी फीस

संवाद न्यूज एजेंसी

अमर उजाला के टिंबर हाउस कार्यालय शिमला में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जानतीं महिलाएं। अमर उजाला

शिमला। महिलाएं अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। न ही लोकमित्र केंद्रों को मनमानी फीस नहीं देनी पड़ेगी। यह जानकारी टिंबर हाउस स्थित अमर उजाला कार्यालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में आरटीओ अनिल शर्मा ने दी। महिलाओं को घर बैठे मोबाइल और लेपटॉप पर लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया सिखाई गई।

शिविर में शहर की युवतियों और महिलाओं ने दस मिनट के भीतर लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया सीखी। इससे उत्साहित कई महिलाओं ने मौके पर ही लाइसेंस के लिए आवेदन भी कर दिया। खुद लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद महिलाएं बोलीं कि अब वह न सिर्फ अपने घर के लोगों बल्कि सहेलियों के लर्निंग लाइसेंस भी बनाएंगी।

आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने सुबह 11:30 बजे शुरू हुए शिविर में पहुंचीं महिलाओं, नर्सिंग प्रशिक्षुओं और कॉलेज छात्राओं को बताया कि वह घर से ही दस मिनट के भीतर सारथी एप के जरिये लर्निंग लाइसेंस बनवा सकती हैं। आरटीओ ने कहा कि सबसे अंत में लाइसेंस की फीस जमा होती है। यदि यह प्रक्रिया सर्वर के चलते अटक भी जाए तो इसे बाद में कभी भी पूरा किया जा सकता है। किसी ने ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग फीस है। बाइक के लिए 1090 और गाड़ी के लिए 1540 रुपये फीस लगती है। शिविर में सोनिका ने भी महिलाओं का मार्गदर्शन किया। पायल चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया ही नहीं सीखी बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूक हुए हैं।

रोहिनी ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर क्या-क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली। यह जानकारी हर महिला को मिलनी चाहिए। बिमला ठाकुर ने कहा कि महिलाएं आमतौर पर सरकारी कार्यों से डरती हैं, खासकर जब बात तकनीक से जुड़ी हो लेकिन इस शिविर ने हमारी सोच बदल दी। यह असल में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। सीजल ने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस सिर्फ 10 मिनट में बन सकता है। सुनिधि ने कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होगी।

प्रशिक्षित ड्राइवर को साथ ले हाईवे पर आएं : अनिल

अनिल शर्मा

आरटीओ शिमला अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान हाईवे पर गाड़ी ले जानी है तो प्रशिक्षित ड्राइवर की निगरानी में ही चलाएं। गाड़ी के दोनों शीशों पर लाल अक्षरों से लर्नर (एल) लिखवाएं ताकि अन्य लोग सावधानी से गाड़ी चला सकें। युवाओं को लाइसेंस बनाने के बाद सड़क सुरक्षा के नियमों की अनुपालना जरूरी है। सरकार की ओर से नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सारथी पोर्टल एक बेहतरीन पहल है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल, लेपटॉप पर ऑनलाइन आवेदन लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए कर सकता है। हर स्तर पर प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की है। युवाओं में जबरदस्त ऊर्जा और सीखने की ललक है। ऐसे में युवा पीढ़ी के तकनीक में पारंगत होने से यह काम और भी आसान हो गया है।

10 मिनट के भीतर पूरी की लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया

हिमाचल दस्तक, दिनांक 29 सितम्बर 2025
पेज न0–09 कालम–1,2

राजगढ़ में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 38 वाहनों के चालान काटे

हिमाचल दस्तक ■ राजगढ़

■ आरटीओ सिरमौर ने की कार्रवाई, 1.17 लाख रुपये जुर्माना वसूला

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चंदेल ने रविवार को छुट्टी के दिन भी अपनी टीम के साथ जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र राजगढ़ में पहुंचकर वाहनों का विशेष चेकिंग अभियान चलाया। नाहन से करीब 100 किलोमीटर दूर अचानक हुई इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ करीब 150 वाहनों की गहन जांच की, जिसमें ट्रक, निजी बसें और पिकअप आदि शामिल थे। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 38 वाहनों के चालान किए गए, जिनसे मौके पर ही 1.17 लाख रुपये का भारी जुर्माना वसूल किया गया। जांच में सामने आया कि चालान किए गए अधिकतर वाहन बिना वैध फिटनेस और परमिट के सड़कों पर दौड़ाए जा रहे थे, जिन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस दौरान चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि दुर्गम इलाकों में चलने वाली कई निजी बसों के कंडक्टर यात्रियों को टिकट जारी नहीं कर रहे थे जोकि नियमों का सीधा उल्लंघन है। आरटीओ ने संबंधित बस कंडक्टरों को मौके पर ही सख्त चेतावनी जारी की कि वे सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से टिकट दें अन्यथा भविष्य में उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की कि वे यात्रा के दौरान टिकट जरूर लें।

“ बसों में यात्रियों को टिकट न दिए जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जो नियमों के खिलाफ है। भविष्य में भी इस तरह का विशेष चेकिंग अभियान जारी रहेगा।

- सोना चंदेल, आरटीओ, सिरमौर।